Form No. 75 (Rule 405) at page 390 of the Subsidiary Manual, 1927

बिहार उत्तराधिकार (स्व.) नियम, 1

देनी बातियान।

जिला पटना

थाना

परगना

पटवारी हल्का नम्बर

पटवारी हल्का नम्बर

संख्या	ग्राम, खाता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान।	रकबा		लगान			स्थान। उत्तराधिकार करने के सम्बन्ध लिखने के लिए खाने पर दस्तखत करें।		(1) सम्पत्ति और मालिकाना पर्चा के नम्बर की सूचना (2) सम्पत्ति जिसका उत्तराधिकार करने के सम्बन्ध में बयान दिया गया है। (3) जिस खाने पर दस्तखत करें।
		बीघा	कट्ठा	रु	आ	पा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534	शेख केनाराम पीत मटसद मुसलमान	420 430 6		मालगुजारी चौकीदारी आबपाशी योग	0 0 0 0	02 00 01 03	10 10 20 10		

प्रमाणित किया जाता है कि यह रकबा सम्बन्धित
को अटलापुर कानूनगो सर्किल में
[illegible] तारीख [illegible] को
[illegible] 1929 ई० को
[illegible] देखकर [illegible] किया गया।
10 AUG 1929 को सम्बन्धित बयान
किया गया सच्ची नकल है। 18 AUG
सम्बन्धित प्रमाणपत्र दिए
तारीख हुआ। 10/8/29

दस्तखत पेशकार कानूनगो